न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 215/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/347)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुरदेव कौर पत्नी हरनेक सिंह पुत्री श्री राम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एस, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. हरबंस सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एस, तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक [illegible] तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा। 2. रूड सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 05.11.2024

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय--

दिनांकः 01.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 3 एस, पटवार मण्डल मलकाना-खुर्द की जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 83/83 के मुरब्बा नं0 19 व 42 में कुल रकबा 2.568 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदार रूड सिह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1, वादिया का सगा भाई है। वादिया के भाई प्रतिवादी संख्या 1 हरवंस सिह के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदार रूड सिह पुत्र राम सिंह से जरिए रजिस्टर्ड वैयनामा दिनांक 16.01.1981 व 24.01.1981 को रूबरू गवाहान खरीद की हुयी है और खरीद की रोज से ही प्रतिवादी संख्या 1 भूमि पर शांतिपूर्वक निर्बाध, निरंतर भूमि पर कब्जा काश्त था। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरबंस सिह आदि कुल पांच भाई-बहिन है, जिनकी पैतृक सम्पति चक जोगेवाला, तहसील डबवाली तथा चक 3 एस तहसील श्रीकरणपुर में स्थित थी। उक्त पांचो बहिन-भाईयो ने अपने माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् सम्पति का आपसी सहमति से मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर लिया था, जिसमें वादिया के हिस्सा की सम्पति यानि चक 3 एस तहसील श्रीकरणपुर में स्थित कृषि भूमि बंटवारा में वादिया को प्राप्त हुयी थी तथा चक जोगेवाला तहसील डबवाली में स्थित सम्पति वादिया द्वारा अपने भाईयो को सुपुर्द कर दी थी। उक्त वर्णित भूमि पर वादिया पारिवारिक बंटवारा के अनुसार काबिज अवश्य है। लेकिन पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादिया के नाम से उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं है। इस कारण वादिया को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादिया को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि आनलाईन आरम्भ हो चुकी है। इस कारण भी काफी असुविधा होती है। इस कारण वादिया उक्त पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त भूमि का राजस्व अंकन व लगान अपने नाम करवाने हेतु उक्त दावा पेश कर रही है। मुरब्बा नं0 19 व 42 में कुल रकबा 2.568है0 कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीदशुदा है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेजात भी प्रतिवादी संख्या 1 के पास सुरक्षित है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार दर्ज नहीं करवा रहा है। वादिया ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा टाल-मटोल कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार ने हमेशा आश्वासन दिया जाता रहा है कि भूमि का कब्जा पारिवारिक बंटवारा के अनुसार आपको सुपुर्द किया हुआ है और आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्द ही भूमि का नामांतरण पारिवारिक बंटवारा के अनुसार राजस्व अभिलेख में आपके नाम से करवा देंगे। उक्त प्रकरण में खातेदार रूड सिह पुत्र राम सिह के द्वारा उक्त समस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा कर दिया था, लेकिन प्रतिवादी संख्य 1 के द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज नही करवाया था। इस कारण उक्त रकबा आज भी प्रतिवादी संख्या 2 राम सिह पुत्र रूड सिंह के नाम से दर्ज है। इसलिए उक्त प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2 को प्रकरण में बतौर औपचारिक पक्षकार संयोजित किया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम चक 3 एस, पटवार मण्डल मलकाना-खुर्द की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 83/83 के मुरब्बा नं0 19 व 42 में कुल रकबा 2.568 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादिया को पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम से दर्ज करने हेतु तथा भूमि का राजस्व लगान व अन्य तमाम सुविधा वादिया के नाम जारी करने के आदेश व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। शामिल मिसल किया गया। जवाबदावा के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा सहमति का है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, सहमति जवाबदावा के मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 83 के मुरब्बा नम्बर 19, 42 की कुल 2.568 हैक्टेयर का वादी गुरदेव कौर पत्नी हरनेक सिंह पुत्री जगर सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरदेव कौर बनाम हरबंस सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर 215/2024
निर्णय दिनांक :- 01.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 83 के मुरब्बा नम्बर 19, 42 की कुल 2.568 हैक्टेयर का वादी गुरदेव कौर पत्नी हरनेक सिंह पुत्री जगर सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे।

आज दिनांक 01.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/02
दिनांकः 01.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रेपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)